न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– सोहन लाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. कल्याणसिंह पुत्र भबूतराम 2. कालूराम पुत्र श्रीराम 3. चेनाराम पुत्र भबूतराम 4. चेलाराम पुत्र नारायणराम 5. प्रेमसिंह पुत्र भबूतराम 6. महेन्द्र प्रकाश पुत्र नारायणराम 7. मांगीलाल पुत्र उरजाराम सभी जातियान खारड़िया सीरवी, निवासीगण पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कार्यालय बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :– 22/3/2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसार नम्बर 821/2 रकबा 2.8234 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। उक्त खसरे की भूमि ग्राम पिचियाक के खाता संख्या 321 पर प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। उपरोक्त पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में राजस्व रेकर्ड में रास्ता जो नजरी नक्शे में आसमानी स्याही से दर्शाया गया है वह रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है मगर मौके पर उक्त रास्ता नक्शे में लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाया गया है जो उक्त रास्ता लाल स्याही वाला मार्क ए.बी.सी.डी. सेटलमेन्ट के समय से चलता आ रहा है मगर राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता आसमानी स्याही से बताये अनुसार दर्ज है। मगर मौके पर सेटलमेन्ट के समय से लाल स्याही वाला रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. चालू है तथा आसमानी स्याही वाला रास्ता मौके पर मौजूद नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि का विभाजन करने में भारी समस्या आ रही है। पद संख्या 1 में वर्णित खसरे की जमीन का नजरी नक्शे में आसमानी स्याही से जो रास्ता दर्शाया गया है वह मौके पर मौजूद नही है इसके बदले में रास्ता नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. लाल स्याही से रास्ता व मार्क दर्शाये गये है वह रास्ता मौके पर चालू है जो मार्क ए.

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बी.सी.डी. के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता हमेशा के लिये कायम करने से प्रार्थीगण का हक हिस्सा व अन्य किसी की भी जमीन पर कोई असर नही पड़ेगा उक्त रास्ता कायम करने के पश्चात् मोड व घुमाव समाप्त हो जायेंगा तथा रास्ता लम्बा नही होके दूरी भी कम हो जायेगी। जिससे रकबे में कोई घटोतरी व बढोतरी नही होगी यानि रकबा में कोई अन्तर नही होगा। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम पिचियाक में स्थित भूमि खसरा नम्बर 821/2 रकबा 2.8234 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम के सलंग्न रास्ता जो राजस्व नक्शे में आसमानी स्याही से दर्शाया हुआ है मगर मौके पर चालु नही है तथा वक्त सेटलमेन्ट से उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाया गया है जो मौके पर चालू है को राजस्व रेकर्ड नक्शा में लाल स्याही वाला रास्ता को तरमीम किया जाने एवं रास्ता हमेशा हमेशा के लिये कायम किये जाने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 821/2 रकबा 2.8234 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम है, जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 934 रकबा 0.7847 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय जो कि श्री सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसमें वर्तमान में रास्ता संचालित है, जो नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी. है, जिसे रास्ता भूमि दर्ज किया जावे व नियमानुसार श्री सरकार के खाते में रास्ता रकबा किया जाना उचित प्रतीत होता है। खसरा नम्बर 933 से मार्क डी तक चल रहा रास्ता जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि में चल रहा है। अतः खसरा नम्बर 821/2 में चल रहे रास्ते का रकबा प्रार्थीगण की खातेदार में रखते हुए भूमि किस्म गै. मु. रास्ता का अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पिचियाक की सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 821/2 रकबा 2.8234 हैक्टेयर के संलग्न जो रास्ता नजरी नक्शे में आसमान स्याही से दर्शाया हुआ है, मगर मौके पर चालू नही है तथा वक्त सेटलमेन्ट से उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाया गया है जो मौके पर चालू है जिसको तरमीम किये जाने एवं रास्ते को सदैव के लिए कायम किये जाने की इस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 821/2 रकबा 2.8234 हैक्टेयर

न्यायालय सहायक कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में प्रार्थी द्वारा लाल स्याही दर्शाया गया मार्क ए.बी.सी.डी. का रास्ता वक्त सेटलमेन्ट से चल रहा है लेकिन उसकी तरमीम आसमान स्याही से दर्शाये गये स्थान पर कर दी गयी। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 821/2 के पास में चल रहे रास्ता वर्तमान में दर्ज (नीली स्याही) रास्ते को त्रुटिशुदा मानते हुए वक्त बंदोबस्त से लाल स्याही से दर्ज रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. जो मौके पर चालू हो को पक्का रास्ता किसी खातेदार का हित प्रभावित (खसरा नम्बर एवं रकबा में) बदलाव किये बिना अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सोहन लाल)
(आई.ए.एस.) प्रशिक्षु
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
(आई.ए.एस.) प्रशिक्षु
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा